tlNDIAN CITIZENS KIDNAPPED BY PAKISTAN

477. SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE : Will the M^ter of HOME AFFAIRS be pleased to state .

fa whether it is a fact that some Indian cit zemiSing Sbri Susil Chakravarty a forest officer have been kidnapped by Pakistanis in the last week of February this year from Sundarbans area of West Bengal; and

tW if so what measures the Government of india have taken for the return of these citizens?

THP MINISTER OF STATE IN TOE MINISTRY OF HOME AFFAIRS SHRIVIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(W Strong protests have been lodged at appropr ate levels with the authorities of Pakistan, Efforts are continuing at the level of Deputy High Commissioner for India at Dacca for the return of the Forest Officer and four other kidnapped persons.

STATEMENT BY MINISTER *RE*T™ STARRED OUESTION NO. 1020SSS ON 3RD DECEMBER, i960

RAMASWAMY RAJA POLYTECHNIC

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF. V.K. R V RAO) : Sir, In the reply given to nart tel ofUnstarred Question No. 1020 L 3.^.1969 in the Rajya Sabha, it was stated that the Director of Technical Education, Tamilnadu *had not* directed ♦he Chairman of the Ramaswamy Raja Polytechnic, Rajapalayam to explain the discrepancies in the amount of defalcation. This information was based op the enquiry made by the Ministry 8 Southern Regional Officer of the State Deputy Director of Technical Education (in the absence of the Director at the headquarters at that time). Subsequently, however, it is learnt that the State Director had asked the Chairman of the Polytechnic to reconcile the discrepancies m the amount of defalcation as reported by the Management Auditor or the Polytechnic and the Local Fund Audit authorities.

■(•Transferred from the 7th May, 1970.

In the rep'y to parts if) and (g) of the same Question, it was stated that according to the Local Fund Audit the amount involved in misappropriation; defalcation was Rs. 92,500. This was based on the information contained in a note received by the Southern Regional Officer from the State Director of Technical Education. The note stated that the above amount was found misappropriated in the course of the audit of the accounts of the institution. It was presumed thai the audit referred to was the normal Local Fund,. Audit. From further clarification received the amount of misappropriation according to the Local Fund Audit was Rs. 1,05,370 and the amount of Rs. 92,500 referred to was according to the Management Auditor of the institution. The authorities of the institution-have since sent explanation to the Local Fund Audit to reconcile the difference in the amounts.

CALLING ATTENTION TO AMATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED FIXING OF NEW BOUNDARY PILLARS BY THE BURMESE GOVERNMENT ABOUT TWO FURLONGS INSIDE THE INDIAN TERRITORY IN THE BF.HEND AREA OF CHURACHANDPUR SUB-DIVISION OF MANIPUR

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : श्रीमन्, मनीपुर के चूड़ाचांदपुर सब डिवीजन के बेहंड क्षेत्र में भारतीय राज्य क्षेत्र में लगभग 2 फर्लांग अन्दर की ओर बर्मा की सरकार द्वारा नये सीमा स्तम्भ लगाये जाने के समाचार की ओर वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 'SHRI SURENDRA PAL SINGH) : Sir, the boundary between India and Burma is being demarcated in accordance with the Boundary Agreement signed between the Governments of India and Burma in 1967. During the field season 1969-70 the survey teams of the two countries have been engaged in demarcating the boundary in the Manipur sector. In the process of this demarcation there have been some minor differences of opinion at the technical level in regard to the position of seven boundary pillars. None of

these pillars a,r located in the Chura-chandpur sub-dn sion of Manipur. The exact locat on of ihese seven pillars will be discussed by the (oint Boundary Commission which is scheduled to meet in Rangoon toward the end of this month.

All the bourn ary pillars are jointly erected by the Survey Departments of the Governmen J of India and Burma. There is, thereft e, no question of any boundary pillars bring unilaterally fixed by the BurmeS' or the Indian Government.

As the House i aware, we have had co-operation from t <• Burmese Government in the demarcat on of the border. It would therefore >e unfortunate if misleading reports v :re to give an impression that there a *t* substantial differences between the two Bovemments.

[MR. DEPUTY C IAIRMAN in the Chair]

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, अभी कुछ ही दिन पूर्व मनीपुर यूथ लीग द्वारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था और उस में इस बात की शिकायत की गई थी कि मनीपुर घाटी का कोबो घाटी का बहुत बड़ा क्षेत्र बर्मा को दिया गया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन में पंडित जवाहर लाल नेहरू का चित्र जलाया और मैं समझता हूं कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में इस प्रश्न को लेकर बहुत बड़ी उत्तेजना है। उसी संदर्भ में वहां पर हमारी सीमा में इस तरह के पिलर लगाने के समाचार आये।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये सात खम्बे वही हैं जिनके बारे में विवाद चल रहा है? यह घटना हमारी सीमा के किस जगह से संबंधित है। यह जो मोरे क्षेत्र है, इस मोरे क्षेत्र से इसका क्या ताल्लुक है और वहां से कितनी दूर है। मनीपुर सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि इस विवाद के अन्दर मोरे नगर और उसके आसपास सड़कें, पुलें, ये भी उसके अन्दर आती है। अगर इन पिलरों का ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया, तो मैं चाहूंगा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट बतलाई जाय कि ये 7 पिलर विशेषकर कौन से स्थान पर है इसके डिस्प्यूट में कौन कौन से क्षेत्र आते है और मोरे के साथ इनका कितना संबंध है तथा कितना अलग क्षेत्र पड़ता है। इस प्रदर्शन के अन्तर्गत जो रिजेन्टमेंट था वह इसलिए था कि कोबो घाटी का कम से कम 7 हजार मील का क्षेत्र इस प्रकार से पहले बर्मा को सौंप दिया गया था और उसके बारे में कोई चिन्ता नहीं की गई थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसी तरह की भूल इस बार भी दोहराई जाने की सम्भावना है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सभापति महोदय पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक मोरे टाउन का सवाल है, बर्मा सरकार ने कभी नहीं कहा कि मोरे टाउन बर्मा का है। इस किस्म के समाचार जरूर अखबार में निकले है, वह गलत है। 7 पिलर्स के लगाने का सवाल है। जहां तक यह सवाल है कि वे किस जगह पर है, एक पिलर मोरे टाउन के नजदीक है और बाकी 6 पिलर्स मोरे टाउन से उत्तर की ओर हैं। अब कहना मुश्किल है मेरे लिए कि वे किस गांव के पास हैं। पूछा गया कि कितना रकबा जायगा। न कोई रकबा जाने वाला है, न आने वाला है। एक डिफरेंस आफ ओपीनियन, एक इख्तलाफ राय हुई है दोनों टीम्स की कि 7 पिलर्स किस जगह पर होने चाहिए। ऐसा इख्तलाफ अक्सर ऐसे मामलों में हो जाया करता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा ख्याल है कि कमीशन की जो मीटिंग होने वाली है उसमें यह मामला बड़ी आसानी से तय हो जायगा।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मोरे नगर के उत्तर में भी भारत का भाग है या नहीं? ये जो 6 पिलर्स उत्तर

[श्री सुन्दरसिंह भंडारी]

की तरफ जाने वाले हिस्से में आपने बताए कितनी भूमि इसके सन्दर्भ में पकड़ में आती है? आपने बताया कि मोरे के पास एक पिलर लगने वाला है। क्या यह बात सच है कि यद्यपि मोरे कस्बा तो भारत में रह जाता है लेकिन उसकी एप्रोच रोड और पुलिया जहां से मोरे में जाया जा सकता है वह इस पिलर के कारण एफेक्ट होती है और इसी वजह से यह सारा रोष उत्पन्न हुआ है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य को शायद ऐसा ख्याल है कि पिलर्स के लगने में भारत की भूमि चली जायगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो होगा दोनों टीम्स की राय से होगा। अब सिर्फ यह है कि पिलर्स कहां होने चाहिए। बर्मा कहता है कि यहां होना चाहिए, हिन्दुस्तान कहता है कि यहां होना चाहिए। पिलर्स के लगने के बाद यह जरूरी नहीं है कि बर्मा की भूमि हिन्दुस्तान के पास जाय या हिन्दुस्तान की भूमि बर्मा के पास जाय।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आप सवाल को बहुत छोटा और हल्का बना रहे हैं।

SHRI GODEY MURAHARI fUttar Pradesh) : Sir, he says that the pillar is to be put here or there and it does not make any difference in territory. I just cannot understand this. If the pillar is put in the Indian territory, definitel y we lose. Is it ...

(Interruptions)

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : I am afraid the hon. Member is deliberately trying to misunderstand the situation and making such remarks which are not quite fair. It is qui *ie* wrong for the Members to get up and make these allegations without knowing the full fact themselves. They cannot arrogate to themselves, all the knowledge that they feel they possess. It is quite wrong to say that we are no; acting responsibly about the territory of India. All that my colleague Was trying to say was, we are not going to give up any territory of India but we cannot encroach *on* anybody else's territory, that these pillars will be fixed where the boundary is to be determined. The Member cannot make these noises. *(Interruptions).* All that I am trying to say is that we arc going to fix these pillars where it is agreed jointly between Burma and India where our boundary is and the difference is not very much. I think in regard to this particular pillar, it is about 100 yards or so but we have to fix where exactly the two sides agree. The Member feels he knows every thing. He should try to sit down and listen for a change, and not give an impression in this House or elsewhere that there is any quarrel between the Government of India and the Government of Burma. These negotiations have been going on in a very friendly manner and large areas are under demarcation. We have had no difficulties except on certain locations of certain pillars. The Joint Committee is there and that will decide where exactly the border is and the pillars will be fixed there.

श्री ना० कृ० शेजवलकर (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है कि सरकार का यह मंत्रालय इन सब बातों को बड़ी लाइटली लेता है।

श्री नेकीराम (हरियाणा) : क्या लाइटली लेता है?

श्री ना० कृ० शेजवलकर : आपकी समझ में नहीं आएगी, इतनी मोटी बात नहीं है।

श्री नेकीराम : आपकी समझ में नहीं आती तो मेरा क्या कुसूर?

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मैं यह कह रहा था कि मणिपुर सरकार द्वारा जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस मामले में भारत ने बर्मा का पक्ष नहीं माना। यह बात दूसरी है कि भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच कोई झगड़ा न हो या सम्बन्ध अच्छे नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन जहां तक इस सीमा के सम्बन्ध में विशेषतया जो खम्भे

लगाने का सवाल है उसके बारे में भारत सरकार ने बर्मा की मांग नहीं मानी है। यह बात विज्ञप्ति में स्पष्ट रुप से कही गई है। अब यह प्रश्न हमेशा उपस्थित होता है, उपस्थित होता रहेगा। सीमा के सम्बन्ध में जब तक आप अपने क्लेम को एसर्ट नहीं करेंगे साफ रूप से जिस तरह यहां ढीली बात की जाती है वैसे ही वहां होगी तो स्वाभाविक रूप से भारत का कुछ न कुछ अंश हमारी सीमा से निकलता चला जायगा। जो सीमा-संकुचन का आरोप लगाया गया है मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूं। दक्षिण भारत में कच्चा-तिवू नाम का जो स्थान है उसके बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है। इतनी उपेक्षा की जाती है। वहां कच्चा-तिवू में एक मेला लगता है वर्ष में एक समय। वहां पर सीलोन से नावों में भर भर कर पानी आता है और इस तरह वहां मेले में पानी दिया जाता है।

श्री उपसभापति : आप बर्मा बार्डर के बारे में बात कर रहे हैं या...

श्री ना० कु० शेजवलकर : सारे बार्डर का सवाल है। मैं यह कह रहा था कि इतनी उपेक्षा है। वहां आपके शासन के द्वारा लोगों के लिए जल का प्रबन्ध नहीं किया जाता। वहां भारत से, तमिलनाडु से हजारों आदमी जाते हैं। मंत्री जी अभी यह नहीं बता पा रहे हैं कि ये खम्भे किस जगह लगेंगे। आपकी विज्ञप्ति कहती है कि हम बर्मा के क्लेम को नहीं मान रहे। यह सारा स्पष्ट करने में शासन को क्या हिचकिचाहट है? शासन स्पष्ट करे कि वह कौन सा स्थान है जिसके बारे में विवाद होना कहा जाता है और उसमें कितना क्षेत्र है।

श्री दिनेश सिंह : उपसभापति, आप इस पर खुद ही विचार करें। माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां खम्भा कहां लगना है इसके बारे में विवाद है। खुद उन्होंने कहा...

श्री ना० कु० शेजवलकर : आपका शासन कहता है।

श्री दिनेश सिंह : आप परेशान न हो...

(*Interruptions*)

श्री ना० कु० शेजवलकर : आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : इसके सम्बन्ध में आपको परेशानी न हो, हमें परेशानी है।

श्री दिनेश सिंह : परेशानी यहां ज्यादा है, आपको वास्तव में परेशानी बिल्कुल नहीं है।

उपसभापति महोदय, जब एक खम्भे के लगने के बारे में विवाद है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि भारत सरकार बताए कि वह खम्भा कहां लगेगा। जब विवाद है तो मैं कैसे बता दूं कहां लगेगा। जैसा दोनों सरकारों के बीच तय होगा वहां लगेगा।

श्री ना० कु० शेजवलकर : आपका स्टैंड क्या है? मैंने सवाल यह पूछा कि आपके हिसाब से खम्भा कहां लगेगा, आपका क्लेम क्या है। आप यह भी बताना नहीं चाहते और फिर यहां कहते हैं कि कैसे बता दें।

श्री दिनेश सिंह : उपसभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य तकलीफ करें तो मैं उन्हें नक्शे पर बता दूं, हाउस में कैसे बताउं कि पिलर कहां लगेगा। दोनों में फर्क सौ गज के करीब हैं। सौ गज आगे लगेगा हम उसको मानते हैं। इसको मैं किस तरह बता दूं, कोई टीला हो, कोई पत्थर हो जिस पर नम्बर लगा हो तो बता दूं कि फलां नम्बर पर लगेगा।

श्री ना० कु० शेजवलकर : अभी सवाल किया था कि जो मोरे नगर का पुल है, सड़क है

[श्री ना० कृ० शेजवलकर]

वह किधर से जायगी। आप यह नहीं बता सके, अब कहते हैं कि यह कैसे बताएं। जो स्पष्ट, साफ-साफ पूछा है वह बता दीजिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : पहले भूगोल पढ़ कर आइए।

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : बड़ी दयनीय अवस्था है।

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1967 में सर्वेक्षण किया गया है। तो मैं मंत्री जी से एक प्रश्न तो यह पूछना चाहता हूं कि 1954 में जब 7000 वर्ग मील भूमि हमारी बर्मा को दी गयी तो उसको देने का आधार क्या था? किस आधार पर हम ने बर्मा को अपनी 7000 वर्ग मील भूमि दे दी जबकि हमारा सर्वेक्षण आज 1967 में हुआ है और यह 7000 वर्ग मील भूमि पाने के बाद भी बर्मा आज तक हम से सेटिसफाई क्यों नहीं हुआ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आये दिन हम को पत्रों से पता चलता है कि सर्वे मैप्स चोरी हो रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि हमारे यहां जो पंचमांगी लोग हैं वे सर्वे डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं। हम लोग अनभिज्ञता में बैठे हुए हैं और वह लोग जान बूझ कर दूसरे देशों को इस बात की सूचना दे देते हैं कि वे लोग किस प्रकार काम करें और उसके कारण ही दूसरे देश अधिक से अधिक क्लेम हमारी भूमि पर करते हैं और उसके बाद में लड़ाई होती है दो, चार, पांच साल और फिर वे कुछ हम लोगों को दे देते हैं और हम समझते हैं कि हमारी जीत हुई? क्या यह सत्य है?

श्री विनेश सिंह : जी नहीं, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से और आप के द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि भारत की कोई भूमि बर्मा को नहीं दी गयी है।

श्री प्रेम मनोहर : 1954 में 7000 वर्ग मील भूमि बर्मा को दी गयी है या नहीं?

श्री विनेश सिंह : मैंने बताया है कि नहीं दी गयी है।

श्री मान सिंह वर्मा : जब वह एक बार कह चुके हैं तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं दी गयी?

श्री उपसभापति : 1954 में नहीं दी गयी यह उन्होंने बतलाया है। श्री माथुर।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी उन्होंने जबाब दिया है कि कोई भी जमीन बर्मा को नहीं दी गयी है। यह न्यूज पेपर है---हिन्दुस्तान 9 मई का। इसमें एक हेडिंग है : "7000 वर्ग-मील क्षेत्र बर्मा को हस्तांतरित? इम्फाल, 8 मई (यू० न्यू०) मणिपुर की कोबो घाटी के 7 हजार वर्गमील क्षेत्र का 1954 में बर्मा को किए गए कथित हस्तांतरण के विरोध में यहां की मुख्य सड़कों पर आज प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में छात्र और छात्राओं ने भी भाग लिया।

"प्रदर्शनकारियों ने श्री जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े चित्र को जला दिया और नेहरू विरोधी नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पं० नेहरू के प्रधान मंत्रित्व काल में यह क्षेत्र बर्मा को दिया गया था।"

श्री उपसभापति : उन्होंने आरोप लगाया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : 9 मई का यह अखबार है। इस का कंट्रेडिक्शन क्या हुआ? इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री उपसभापति : उन्होंने कह दिया है कि कोई भूमि नहीं दी गयी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उससे एक कंफ्यूजन और क्रियेट हो गया। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने एक समाचार पत्र पढ़कर सुनाया कि मणिपुर के क्षेत्र के लोगों में यह धारणा है कि हमारा क्षेत्र बर्मा को दिया जा रहा है उसके साथ ही अभी मंत्री जी ने कहा कि यह तो नगर है, मोरे नगर, उसके उत्तर में पिलर्स लगाये गये हैं। अब यदि कोई व्यक्ति इस बात को पढ़ेगा तो किसी नगर के उत्तर में पिलर्स लगाने का मतलब यह है कि बर्मा दक्षिण में है और उसके उत्तर में पिलर्स लगाने का मतलब है कि वह गांव भी जायेगा। यह गांव जा रहा है इस बात के समाचार कई पत्रों में प्रकाशित हुए हैं लेकिन भारत सरकार की ओर से इस का कोई खंडन नहीं हुआ। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसी कि उनकी मान्यता है कि हमारे इस नगर का कोई भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या सरकार इस प्रकार का एक मानचित्र, जिसके द्वारा वह माननीय सदस्यों को भी समझा सकें, प्रकाशित करेगी कि जिसके द्वारा यह बतलाया जा सके कि यह मोरे नगर है और जो पिलर्स लगे हैं वे सीमा पर हैं और मोरे नगर का कोई भी भाग नहीं जायगा? यदि इस प्रकार का व्यापक स्पष्टीकरण नहीं आयेगा तो उस से निश्चय ही मणिपुर के लोगों में एक कंफ्यूजन फैलेगा कि हमारे देश का एक भाग जा रहा है।

श्री दिनेश सिंह : मुझे दुख है कि माननीय सदस्य खुद कंफ्यूजन को बढ़ा रहे हैं। जहां तक अखबार की बात है, मुझे दुख है कि आज कल अखबारों में ऐसी गलत बातें छपती हैं। या तो सही बाते जानने की कोशिश नहीं की जाती या लोग समझते हैं कि अपने कमरे में बैठ कर जो चाहें लिख दें, हजारो लोग उसको पढ़ेंगे और उनका काम हो जायगा और कोई इस बात की कोशिश नहीं करता कि देखें कि क्या सही है और क्या गलत है।

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, Order, please.

श्री दिनेश सिंह : अगर माननीय सदस्य थोड़ा सुनने की कोशिश करें, उपसभापति महोदय, तो अच्छा होगा। कान में उन्होंने आला लगाया है, उससे थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लें। तो शायद वे इतने उत्तेजित न होंगे। अगर उसको सुनेंगे तो समझ भी लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और कैसे समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। (*Interruption*) या तो मुझे सुनने और समझने की कोशिश करें या जो वह कहना चाहते हैं वह कह लें। मैं उस समय तक चुप बैठा रहूंगा। मेरी बात सुननी है तो कृपा करके उसे ध्यान से सुनें।

एशिया में देशों की जो स्थिति है उसमें भारत के उत्तर में बहुत से देश आते हैं। अगर किसी शहर के उत्तर में कोई दूसरा देश आता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह शहर उस देश को चला जाता है। बर्मा की सीमा को अगर हमारे माननीय सदस्य किसी वक्त जा कर लाइब्रेरी में देखें तो नक्शे में उनको पता चलेगा कि उस की सीमा एक घूमती हुई सीमा है। उसमें बर्मा का कुछ हिस्सा भारत के उत्तर में भी है, पूर्व में भी है और कुछ भाग दक्षिण में भी पड़ता है और इस लिए अगर किसी शहर के पूर्व मेंकोई हिस्सा जाय, शहर का हिस्सा नहीं, बल्कि शहर के बाहर का पूर्व का हिस्सा जाय तो उससे शहर किस तरह दूसरे देश में चला जाता है? यह तो माननीय सदस्य को समझना पड़ेगा, मैं खुद नहीं समझ पाता कि उसमें शहर कैसे दूसरे देश में जा सकता है। जहां तक उन्होंने दूसरी बातों का जिक्र किया

[श्री दिनेश सिंह]

उनके बारे में जहां तक मेरी सूचना है वह यह है कि मणिपुर का जो सेक्टर है 1896 के बाद उस में कोई तब्दीली नहीं हुई है। जिसे एक कोबो घाटी का जिक्र उन्होंने किया, उसका हिस्सा 1834 में बर्मा को दे दिया गया था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत की कोई भूमि बर्मा को नहीं दी गयी है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : 1954 में क्या हुआ ?

श्री दिनेश सिंह : 1954 में कोई बात नहीं हुई है। यह माननीय सदस्य कहां से लाये हैं ? आइन्दा के लिए माननीय सदस्य यही तय कर लें कि जो इस अखबार में निकलेगा उनके बारे में भी उसको वह सच मानेंगे ?

श्री बालकृष्ण गुप्त (बिहार) : हमारे डा० लोहिया जी यह कहते थे कि 1954 में नेहरू जी ने यह जमीन उनको दे दी है। वह वहां गये भी थे। तो यह जो अखबारों में आया है यह पुरानी खबर है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बर्मा का नया क्लेम क्या है जिसके कारण कि यह कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और जिसको कि आप गलत कहते हैं ? यह जो खबर निकली है...

श्री नेकी राम : निकली नहीं, निकला है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक बात तो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री मान सिंह वर्मा : माननीय मंत्री जी, यह हरियाणा के बैल को जरा रोकिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : तो मंत्री जी ने उस खबर के बारे में क्या स्पष्टीकरण किया है ? दूसरी बात यह कि कच्छ में भी जो क्लेम किया गया था तो हिन्दुस्तान ने पहले कहा था कि पाकिस्तान का क्लेम गलत है और बाद में कोर्ट में कहा कि कच्छ में हिन्दुस्तान ने दखल किया हुआ था इसलिए उनको यह दे दिया गया...

श्री नेकी राम : यह क्या बातें कर रहे हैं ? क्या समझूं मैं इससे ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कच्छ के कारण ही भारतवर्ष में एक अविश्वास पैदा हुआ...

श्री दिनेश सिंह : कच्छ का इससे क्या संबंध है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कच्छ का उदाहरण तो मैं आप को समझाने के लिए दे रहा हूं। इस समय आप कहते हैं, नहीं, नहीं, और जब दे देंगे तो यह कहेंगे कि यह तो बर्मा का हिस्सा था। अभी भी आप का यही कहना है। कच्छ में भी पहले कहा गया था कि यह भाग भारत का है और वहां की एक इंच जमीन भी हम नहीं देंगे। बाद में जब कोर्ट में केस गया तो आप ने कहा कि भारतवर्ष ने उसको दखल कर लिया था। भारत का क्लेम नहीं था। इसीलिए हमने कहा कि बर्मा का वर्तमान क्लेम क्या है और भारतवर्ष का इस सिलसिले में क्या जवाब है।

1 P. M.

दूसरा सवाल यह है कि मणिपुर के रहने वालों में बड़ा अविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे क्षेत्र को भारत सरकार देती जा रही है और उनको यह भी अविश्वास है कि शायद अगर हम रिसिस्ट नहीं करेंगे तो भारत सरकार जो क्लेम बर्मा सरकार कर रही है, उसको दे देगी। तो मणिपुर की जनता को हमारी सरकार कौन सा विश्वास समाधान करना चाहती है ? जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने पूछा कि जो नक्शा यह बताना चाहते हैं, क्या

यह कैटेगरिकली एक नक्शा पब्लिश करेंगे जिससे देशवासियों और मणिपुर वासियों को भी पता लग जाए कि सचमुच में भारत सरकार एक इंच भाग भी मणिपुर का बर्मा को नहीं देगी ।

श्री दिनेश सिंह : उपसभापति महोदय, पहले मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि बर्मा की सरकार का कोई क्लेम नहीं है । वहां पर जो बर्मा की सर्वे-पार्टी और भारत की सर्वे पार्टी है, उनके बीच में मतभेद हुआ है कुछ पिलर्स के सम्बन्ध में । जहां तक मेरा ख्याल है कोई 7 पिलर्स होंगे, करीब तीन वर्गमील का कुछ अंतर पड़ता है । करीब सौ-दो-सौ गज इधर-उधर पिलर्स का झगड़ा है वहां के नक्शे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से यानी जो उनके हिसाब से बैठता है और जो हमारे हिसाब से बैठता है । अब यह बात बाउंडरी कमीशन के पास जाएगी, उसमें वह जाएगा । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इसमें खुद पड़ने के बजाय बाउंडरी कमीशन को देखने दें कि किस जगह पर ये पिलर्स होने चाहिए और उसके हिसाब से दोनों देशों के बीच में जब समझौता हो जाएगा तभी ये पिलर्स लगेंगे । माननीय सदस्यों का यह कहना कि सरकार भारत की भूमि को बिल्कुल बांट दे रही है, यह बिल्कुल गलत है । यह बात उनकी आज भी चली नहीं है । उन्होंने इसके बीच में कच्चा-तिवू और कच्छ सब कुछ मिलाने की कोशिश की है । तो यह सब गलत है । दोनों की सर्वे पार्टीज के बीच में कुछ अन्तर है । बाउंडरी कमीशन देखेगा और हम पूरी आशा करते हैं कि उनके बीच में यह मामला तय हो जाएगा । मणिपुर में कोई भी अशान्ति फैली हुई नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है । अगर माननीय सदस्य इसको बड़ा न बनायें तो यह आसानी से हल हो सकता है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हम लोग बड़ा नहीं बनायें, तो आप आसानी से उनको दे सकते हैं ।

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore) : Sir, the Minister told us that the boundary-line between Burma and India is demarcated and pillars are erected according to the decision taken by the Joint Commission. I would like to know whether seven pillars have been erected unilaterally without the permission of the Joint Commission in the sub-division of Manipur and, if so, may I know whether the Government of India have advised the Burmese Embassy in Delhi that they should not have done this in view of the fact that we have very friendly relations with Burma? If they have done that, it should be referred to the Boundary Commission and it should be settled amicably. We should like to strengthen our friendly relations with Burma and in view of that they should not have done it.

SHRI DINESH SINGH : As my colleague read out, in the main body of the statement, no pillars have been erected. These pillars will be erected jointly and that is why I am appealing to hon. Members and also to the press that we should really try and see how we can bring about demarcation in a friendly manner, without creating any difficulties and I am quite sure that it will be possible. By and large there has been full co-operation in this House and by the press and we have not had any difficulty so far in the demarcation that has been going on. It is only this particular instance which has been highlighted and I think it is through some mis-understanding, whoever has reported it. We should not allow this misunderstanding to grow, but try to contain it. 1 hope that it will be possible to settle this matter, as it has been possible to settle the long border that has been demarcated and about which we have been supplying information to the House. With the cooperation that has been so fir forthcoming from hon. Members, from the press and from everybody else, the work will be carried on, so that we can settle this matter without any difficulty.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, यदि आप मुझे आने की आज्ञा प्रदान करें तो

[श्री राजनारायण]

मैं वहां आकर खड़ा हो जाऊं और पूरा नक्शा बनाकर सदन के सम्मानित सदस्यों को बता दूं ।

श्री उपसभापति : अगर आपके पास इतनी इंफार्मेशन है तो आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण : मोरे एक टाउन है । रोड चल रही है, नदी आती है वहां पुल बना हुआ है । हमारी जो समझौते की बात थी, उसमें आधी नदी हमारी है । बर्मा के लोगों ने इस सरकार को दुतकारा और कह दिया कि तुम अपने खम्भे को पेन्ट नहीं कर सकते । उन्होंने अपना खम्भा काला बना दिया और हमारा खम्भा सफेद रंगा जाता रहा है, अब वह पेन्ट नहीं होता । मोरे से उधर हट करके प्रेम नगर पड़ता है । प्रेम नगर में 400 घर हैं, चार सौ घर नये बसाये गये हैं, वह हमारा है । अब 400 घर में जहां हमारा पहला पिलर था अब वहां से वह पिलर हटा करके बर्मा के लोगों ने प्रेम नगर के हिस्से में लगा दिया जिससे कि प्रेम नगर के 400 घर जो हमारी सीमा में थे, वे बर्मा की सीमा में चले जा रहे हैं !

मैं यह जानना चाहता हूं कि खम्भा नं० 20, खम्भा नं० 21, और खम्भा नं० 22 जो पहले हमारे थे, ये अब कहां गये हैं । मैं आश्चर्य चकित हूं कि यह मंत्री इतने अनभिज्ञ हैं और अज्ञानता को ही ये अपना गुण विशेष मानते हैं और जब सवालों के जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे तोड़-मरोड़कर कहा । हमसे ज्यादा जानकारी सरकार को होनी ही चाहिए, इसमें बड़े घमंड की क्या बात है । जिस तरह से ये लोग सवालों का जवाब देते हैं उसमें मुझे आश्चर्य है ।

श्रीमन् अभी अभी संसदीय समिति में कांग्रेस के श्री चन्द्रशेखर भी गये थे, इन लोगों से माननीय मंत्री जी ने रिपोर्ट नहीं मांगी । जब दूसरे लोग वहां पर देखकर आये हैं तो उन्होंने यहां पर सारी बातें बताई हैं । वहां पर जो अपने अफसरान हैं, वह भी भारत सरकार की पीछे हटो की नीति से परेशान हैं । वह खुद कहते हैं कि वह हमारा इलाका है । प्रेम नगर में 400 घर हमारे थे । वह 400 घर हमारे हैं या नहीं, रहेंगे या नहीं ? जो खम्भा पहले उत्तर में था अब उसको हटा करके दक्षिण की तरफ़ लगाया गया, वह खम्भा वहां पर क्यों बनने दिया गया ? वह खम्भे भी बिल्कुल नये लगा दिये हैं, नये मडे हैं । जिसको अपने राष्ट्रीय हित की चिन्ता नहीं है, जो अपने मंत्री पद पर येनकेनप्रकारेण बने रहना चाहते हैं, वह भारत माता से मोहब्बत नहीं करेगा । माननीय डा० लोहिया 1955 में गिरफ्तार हुए थे, तब श्री गोविन्द बल्लभ पंत यहां पर गृह मंत्री थे । क्या उनको वह दिन याद है जब डा० लोहिया का पूरा बयान आया कि भारत सरकार किस ढंग से भारत की भूमि को बर्मीज सरकार को सौंपने जा रही है ? 7 हजार क्या बल्कि दस हजार तक जमीन चली गई । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कोबो वैली पहले पूर्व में थी या नहीं ? पहले मणिपुर में थी अब कहां है ? श्रीमन् वहां पर देवदास का पेड़ होता है । उसकी लकड़ी सबसे महंगी होती है । एक-एक फुट लकड़ी सौ-सौ रुपये में बिकती है । क्या वह सारा बर्मा की सरकार को दे दिया है ?

इतनी कीमती लकड़ी आज भारत की नहीं रह गई ।

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, आप सवाल कर लीजिये ।

श्री राजनारायण : तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत की सरकार ने 1955 ई० में मनीपुर का दौरा कर के वहां की सीमा के

बारे में श्रद्धेय डा० राम मनोहर लोहिया ने जो बयान प्रकाशित किया था उसको देखा है और क्या भारत की सरकार ने जब मनीपुर राज्य था तब का, पहले का, नक्शा ले कर इसकी जानकारी की है कि कोबो वैली पूर्णत: मनीपुर में थी, वह बर्मा के हिस्से में नहीं थी। क्या भारत की सरकार ने प्रेमनगर जो नया बसाया गया था उसके बारे में देखा है, उसके दो सौ घर हैं, आज ने बिन की सरकार, बर्मा की सरकार अपने में लाने की साजिश कर रही है, और नदी के बीच जहां तक कि भारत की सरकार भी मान चुकी है, बर्मा की सरकार भी मान चुकी है, वहां तक हमारे खम्बे जो रंगे जा रहे थे वह क्यों रोक दिया गया, उसकी रंगाई क्यों नहीं हो रही है।

श्री उपसभापति : ठीक है, अब आप बैठिये ।

श्री राजनारायण : इन सभी सवालों का जवाब मंत्री जी दें, तोड़-मरोड़ कर नहीं दें, अगर वह जानते हों तो वह जवाब देंगे और अगर न जानते हों तो कह देंगे कि जानकारी एकत्र कर के सूचना दे देंगे ।

श्री दिनेश सिंह : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है नदी का तो वह बात अभी भी वही है, पिलर नम्बर 22 और 23 के बीच में नदी के बीच तक भारत की सीमा है और पुल आधा भारत में है और आधा बर्मा में है। उसके बारे में कोई डिस-प्यूट नहीं उठाया गया है।

जहां तक कि पिलर नं० 21 का है...

श्री राजनारायण : 20, 21 और 22 ।

श्री दिनेश सिंह : 20 और 22 के बारे में कोई डिसप्यूट नहीं है। जहां तक कि हमें मालूम है...

श्री राजनारायण : और 21 का ।

श्री दिनेश सिंह : ... बर्मा का कोई पिलर नं० 21 प्रेमनगर में नहीं है, माननीय सदस्य ने जैसा जिक्र किया अच्छा हुआ कि उन्होंने नक्शा यहां नहीं बनाया, लेकिन वह बर्मा का पिलर 21 वहां पर नहीं है। यह बात जरूर माननीय सदस्य ने ठीक कही है...

श्री राजनारायण : नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह : क्या कहा माननीय सदस्य ने ?

श्री राजनारायण : हां हां बोलिये बोलिये ।

श्री दिनेश सिंह : ... उन्होंने इसका जो जिक्र किया है कि कुछ बस्ती शहर के पूर्व में जो पड़ती है, मुमकिन है कि जो बर्मा ने क्लेम किया है उसके हिसाब से, उनके हिसाब में, जो दूसरी बस्ती, जो गांव का जो टुकड़ा है...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सौ गज में क्या गांव हो जाता है, शहर हो जाता है, दो सौ घर की बस्ती गांव नहीं होती तो क्या होती है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य पता नहीं किस गांव में रहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन शहर से दो सौ गज दूर भी गांव हो सकता है और उनमें भी बस्तियां हो सकती हैं और कुछ उनकी बस्तियां दूसरे इलाकों में भी पड़ सकती हैं। कभी कभी नम्बर भी पड़ जाता है। पता नहीं माननीय सदस्य ने खेत कभी देखा है या नहीं, जिसको खेत है वह जानता है कि दूसरे गांव के नम्बर भी उसमें पड़ जाते हैं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : क्या आप अपने खेत पहचानते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : भंडारी जी, क्या बात है। खेत पहचानता हूं, गांव का नक्शा देखा है कपड़े में जो बना होता है। अगर आप देखना चाहें तो देख लें ।

[श्री दिनेश सिंह]

इसलिये इस बात को एक गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिये और देखा जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से इसमें कोई कमजोरी या कोई नेगलिजेंस की बात नहीं है, पूरी तरह से हम देख रहे हैं। दोनों देशों की सीमा है। जिस तरह हमको अपने देश की जमीन का ख़याल है उसी तरह से दूसरे देश के लोगों को अपनी जमीन का ख़याल है और उन दोनों से मिल कर जो सीमा है वहीं पर निकालनी चाहिये, इसका यह मतलब नहीं कि हमारा ख़याल हो कि हम उनकी जमीन को दबा दें या उनको अपनी जमीन को दबाने दें।

जहां तक कि माननीय सदस्य ने कोबो घाटी का जिक्र किया मैंने एक जवाब में दूसरे माननीय सदस्य को बताया था कि 1896 ई० के बाद मनीपुर बर्मा सेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद अब वहां पर यह देखा जा रहा है। जहां तक मुझे अगर ठीक ख़याल पड़ता है तो 1834 ई० के आसपास यह घाटी शायद अंग्रेजों के जमाने में बर्मा में जोड़ी गई थी, उसका पूरा तो मुझे खयाल नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भूमि हमने भारत की बर्मा को नहीं दी।

श्री उपसभापति : श्री पुरकायस्थ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। वहां के अधिकारियों ने कहा है . . .

श्री उपसभापति : आप तो पूछ चुके हैं। मैंने उनको बुलाया है।

श्री राजनारायण : कम से कम हमारे एक माननीय सदस्य गोलप बरबोरा यहां पर हैं, इन्होंने सूचना दी है कि वहां के सरकारी कर्मचारियों ने भी इस बात को माना है कि खम्बा नम्बर 20, 21 और 22 . . .

श्री उपसभापति : 20 और 22 के लिय मंत्री जी ने कहा कि डिस्प्यूट नहीं है।

श्री राजनारायण : . . . तीनों को बर्मी लोगों ने हटा कर के इधर कर दिया है और मंत्री कहते हैं कि नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के सरकारी कर्मचारी जो अपने हैं वह क्या कहते हैं। यह तो वही स्थिति आ रही है कि सरकार कह देगी कि "दिस लैंड वाज आलवेज ए डिसप्यूटेड लैंड"। मैं उस पर जाना नहीं चाहता लेकिन जब हमारे एक सम्मानित सदस्य डेपुटेशन से हो कर अभी तत्काल लौटें हैं और अधिकारियों ने उनको यह बतलाया है तो किस बुनियाद पर यह सरकार कह रही है कि खम्बा नम्बर 20, 21 और 22 तीनों का झगड़ा नहीं है। मुझे डर है कि यह सरकार खुद अपनी जमीन के लिये कहेगी कि यह हमारी कभी पहले थी ही नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं, मैं साक्षी रखना चाहता हूं गोलप बरबोरा की . . .

श्री उपसभापति : देखिये राजनारायण जी आप बैठिये, आपने कई सवाल उठाये . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जवाब तो मिला नहीं।

श्री उपसभापति : . . . आपने कहा कि 1954 के बाद यह हुआ या नहीं, अनेक सदस्यों ने कहा, और मंत्री महोदय ने बतलाया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके बारे में। उसके बाद में आपने कहा है कि 20 और 22 पिलर का है तो उसके बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं। आपका एक वर्जन है और गवर्नमेंट का एक वर्जन है, तो गवर्नमेंट के पास में जानकारी होनी चाहिये और अगर आप समझते हों कि उनकी जानकारी गलत है, गलत इंफार्मेशन दे रहे हैं तो आप कभी भी आ कर जो इंफार्मेशन मंत्री महोदय ने दी है गलत

है साबित कर दीजिये, बराबर हो जायेगा। सदन में मंत्री महोदय एक बात कह रहे हैं और आप फिर वही बार बार रिपीट कर रहे हैं...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, यह भूमि का प्रश्न है।

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : अगर मंत्री महोदय सदन में गलत बयानी करें तो सदन में ही उसका जवाब होगा, गोलप बरबोरा वहां हो कर आये हैं, वह कह रहे हैं...

श्री उपसभापति : आप यह कह रहे हैं गोडे मुराहरि जी कि जो मंत्री महोदय कह रहे हैं वह गलत है और जो गोलप बरबोरा जी कह रहे हैं वह सही है। यह कैसे पता हो कि जो गोलप बरबोरा जी ने कहा है वह सही है और जो मंत्री महोदय कहेंगे वह गलत है, इसीलिये हम कहते हैं...

श्री गोडे मुराहरि : आप गोलप बरबोरा को मौका तो दीजिये, वह बतायें कि वह क्या देख कर आये हैं। मामला साफ हो जायगा।

श्री उपसभापति : ठीक है, बैठिये।

श्री जी० बरबोरा (आसाम) : वहां जो पुल है...

श्री उपसभापति : अभी आप बैठिये, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मैंने अभी श्री पुरकायस्थ को बलाया था।

SHRI MAHITOSH PURAKAYAS-THA .* (Assam) : Sir, I come from a neighbouring area < f Manipur and I have some knowledge aboi t Man'pur. Will the Minister of Exten al Affairs be pleased to state whether t xere are cordial and friendly relations be ween the Government of India and the Government of Burma and whether it is nta fact that in 1953 there *was* an agreenent between the Government of India and the Government of Burma to transfer Kambo Valley of Mahi-pur to Burma and in exchange to in-elude a far bigger area of Burma called Sumera Track in India and that demarcation work is going on? Is it not a fact that an extremist youths organisation, which demands secession of Manipur from India, recently he'd a demonstration in Manipur in protest against that basis of demarcation and basing on that report some members are unwitt'ngly lending support to that' secessionist force working in Manipur? Will the Minister be pleased to clarify what was the agreement in 1953 and how the progress of the work is going on?

SHRI DINESH SINGH : I will try to say very clerly that there was no agreement on the Manipur-Burma sector in *953 [or] '954- The last arrangement was, so far as my recollection goes, in 1896. So far as the pillar is concerned, about which Mr. Rajnarain raised this matter, I would like again to assure him that pillars 20 and 22 are agreed pillars. They have been agreed to. There is now no dispute on them. It is on pillar 21.

SHRI GOLAP BARBORA : Is it a fact that pillars Nos. 20, 21 and 22 have been pushed by the Burmese a hundred vards inside the Indian territory?

SHRI DINESH SINGH : It would not be right to sav that they have been pushed; they are on the boundary that has been agreed to.

SHRI GODEY MURAHARI : The point is whether the Government of India agreed to the pillars that were located by the Burmese. The Burmese have pushed these three pillars inside the Indian territory, and is it a fact that they agreed to the position of pillars Nos. 20 and 21 as demarcated by the Burmese? That is the question.

श्री जी० बरबोरा : जो पुल है उस पुल के आधे तक आपका अधिकार है लेकिन हम खुद देख कर आ गए हैं कोई पेंटिंग आपने नहीं

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य गोडे मुराहरि जी ने जो कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इसको समझें, कि बीस और बाईस

[श्री दिनेश सिंह]

पिलर्स जहां पहले थे वहीं बने हैं, सिर्फ 21 के बारे में डिस्प्यूट है। जहां तक पुल का संबंध है, वह आधा हमारे हिस्से में है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है।

SHRI GOLAP BARBORA : Why wa; the painting of .lie bridge slopped?

(No reply)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Paper; to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

I.ANNUAL REPORT (19S8-69) OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

II.ANNUAL ACCOUNTS (1968-69) OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : Sir, I beg to lay on the Table-

fa) A copy of the Annual Report of the University Grant-, Commission for the year 1968-69, under section 18 of the University Grants Commission Act, 1956. [Placed in Library. *See* No. LT-3519/70].

(b) A copy of the Annual Account of the University Grants Commission for the year 1968-69 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 19 of the University Grants Commission Act, 1956. [Placed in Library. *See* No. LT—3436/70]

CERTIFIED ANNUAL ACCOUNTS 11967-68) OF THE INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOMBAY AND RELATED PAPERS

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, I also beg to lay on the Table—

(i) A copy of the certified Annual Accounts of the Indian Institute of Technology, Bombay, for the year 1967-68 and the Audiv Report thereon, under sub-section v4) of section 23 of the Institutes of Technology Act, 1961.

(ii) A statement explaining the reasons for the delay in laying the above Accounts.

[Placed in Library. 5^ No. LT 3521/70 for (i) and (ii)]

REPORT (FEBRUARY, 1970) OP THE COMMITTEE OF INQUIRY ON G. S. I. R.— PART I (HINDI VF.RSION)

I

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Hindi Version of the Report. (February, 1970) of the Committee of Enquiry on the Council of Scientific and Industrial Research Part— I.[Placed in Library. *See* No. LT-3.H3/70]

ANNUAL REPORT (1968-69) OF THE INDIAN SCHOOL OF MINES, DHAN«JAD

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Indian School of Mines, Dhanbad, for the year 1968-69. [Placed in Library. *See* No. LT-3530/70]

I. ANNFUAL REPORT (1968-69) ON THE ACTRVTTIES OF THE CENTRAL INSTITUTE OF ENGLISH, HYDERABAD

II. CERTIFIED ANNUAL ACCOUNTS (1968-69) OF THE CENTRAL INSTITUTE OF ENGLISH YDERABAD.

शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 1968-69 के वर्ष के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान हैदराबाद के कार्यों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) 1968-69 के वर्ष के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान हैदराबाद के प्रमाणित वार्षिक लेखे।

[Placed in Library. *See* No. LT-3522/70 for (i) and (ii)]

ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968-69) OF THE NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, NEW DELHI AND RELATED PAPERS

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद) : श्रीमन्, मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(i) 1968-69 के वर्ष के लिये नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नयी दिल्ली का बारहवां वार्षिक